जीसीएमएस नबंरः–2026/44

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारीः सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 07/2026

1. केसर देव उर्फ केशर देव पुत्र श्री रामेश्वर लाल जाति डाकोत निवासी चक गणेशगढ, तहसील व जिला श्रीगंगानगर। **निगरानीकर्ता**

बनाम

1. ग्राम पंचायत गणेशगढ, पंचायत समिति श्रीगंगानगर जरिये प्रशासक/सरपंच, ग्राम पंचायत गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. मंगतुराम पुत्र श्री लालचन्द जाति मेघवाल निवासीयान गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. पतराम पुत्र देवाराम जाति मेघवाल निवासीयान गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. सुभाष चंद पुत्र शंकर लाल जाति मेघवाल निवासीयान गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. कृष्णलाल पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल निवासीयान गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. श्योकरण पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल निवासीयान गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. बद्री राम पुत्र रेला राम जाति मेघवाल निवासीयान गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. दुलीचन्द पुत्र सूरजाराम जाति मेघवाल निवासीयान गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. देवी लाल पुत्र बलराम जाति मेघवाल निवासीयान गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर। **गैरनिगरानीकर्ता**

निगरानी विरूद्व नोटिस कमांकः–एसपीएल–01 दिनांक 017.02.2025 एवं नोटिस कमांक 191 दिनांक 02.03.2026, जो कि निगरानीकर्ता के भूखण्ड संख्या 1092(ख) के पट्टा दिनांकित 20.04.1989 के सम्बन्ध में गलत तौर पर , विधि विरूद्व निगरानीकर्ता को बिना सुने तथा ग्राम पंचायत द्वारा अपने ही कार्यालय में संधारित पंचायत रिकॉर्ड का अवलोकन किए बिना , एकतरफा ही जारी किए गए है, को निरस्त करवाने हेतु।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित :

1. श्री राजवीर सिंह, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री तेजा सिंह, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1
3. श्री जगमोहन आहुजा अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2 ता 8

:: आदेश ::

दिनांक: 06.05.2026

निगरानी के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 1092 (ख) का पट्टा अप्रार्थी ग्राम पंचायत गणेशगढ द्वारा दिनांक 20.04.1989 को जारी किया गया। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी कालान्तर से परिवार सहित रिहायशी मकान बना कर काबिज चला आ रहा है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत गणेशगढ द्वारा प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड 1092(ख) का आसा–पासा निम्नानुसार है जो कि प्रार्थी को जारी पट्टा दिनांकित 20.04.1989 की पुश्त पर दर्ज है :–

भूखण्ड संख्या 1092 (ख) के पूर्व में	–रिहायशी भूखण्ड
भूखण्ड संख्या 1092 (ख) के पश्चिम में	–रिहायशी भूखण्ड
भूखण्ड संख्या 1092 (ख) के उत्तर में	–रिहायशी भूखण्ड
भूखण्ड संख्या 1092 (ख) के दक्षिण में	–रिहायशी भूखण्ड

निगरानीकर्ता के उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बिना सुने, विधि विरूद्व जाकर और अपने ही कार्यालय में संधारित रिकॉर्ड को अनदेखा करते हुए ,नोटिस कमांक एसपीएल–01 दिनांक 07.02.2026 एवं नोटिस कमांक 191 दिनांक 02.03.2026 जारी किए गए है जिसके विरूद्व वर्तमान निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :–

1. यह कि नोटिस कमांक एसपीएल–1 दिनांकित 07.02.2026 एवं नोटिस कमांक 191 दिनांक 02.03.2026 विधि विरूद्व एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त दोनों नोटिसों की प्रतिलिपियां सलंग्न निगरानी है।
2. यह कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.04.1989 को प्रार्थी को जारी पट्टा की पुश्त पर भूखण्ड संख्या 1092 (ख) का नक्शा अंकित किया हुआ है जिसमें भूखण्ड संख्या 1092 (ख) का आसा–पासा अंकित है। प्रार्थी के उक्त भूखण्ड के पूर्व, पश्चिम व उत्तर में रिहायशी भूखण्ड/मकान है, केवल दक्षिण में आम रास्ता है अर्थात् प्रार्थी को आवंटित उक्त भूखण्ड संख्या 1092 (ख) केवल दक्षिण दिशा में रास्ता आम पर खुलता हुआ है। उक्त समस्त तथ्य अप्रार्थी के संज्ञान में भलीभांति है। अप्रार्थी द्वारा अपने ही कार्यालय में संधारित रिकॉर्ड

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा०) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

का अवलोकन किए बिना तथा राजनैतिक प्रभाव में आकर उक्त दोनों नोटिस विधि विरूद्ध, प्रार्थी को बिना सुने एवं बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाए जारी किए गए है। इसी आधार पर उक्त दोनों नोटिस निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1989 में प्रार्थी को ग्राम पंचायत गणेशगढ की आबादी भूमि में से भूखण्ड संख्या 1092 (ख) का पट्टा दिया गया था। इस प्रकार अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा इसी आबादी भूमि में से चक के कई अन्य वाशिन्दों को विभिन्न भूखण्डों के पट्टे समय–समय पर जारी किए जाते रहे है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड संख्या 1092 (ख) व चक के अन्य व्यक्तियों को आवंटित विभिन्न भूखण्डों के दक्षिण दिशा में 21 फुट चौड़ा रास्ता आम अपने–अपने भूखण्डों में आने जाने हेतु दिया गया था। उक्त 21 फुट चौड़ा रास्ता ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में स्थित रहा जो कि लम्बाई में काफी लम्बा है। इसी रास्ता से प्रार्थी व चक के अन्य व्यक्ति कालान्तर से आवागमन करते आ रहे है। ग्राम पंचायत द्वारा कालान्तर से उक्त 21 फुट चौड़ा रास्ता छोड़कर ग्राम पंचायत की शेष भूमि आबादी भूमि को कच्ची दीवार व जाल लगाकर कवर कर लिया गया था। चूंकि इस 21 फुट चौड़े रास्ता पर गांव के ही कई व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने एक लिखित प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 06.12.2007 को प्रस्तुत किया, यानि मौका पर व ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में उक्त 21 फुट चौड़ा रास्ता कालान्तर से विद्यमान रहा। इस तथ्य की पुष्टि प्रार्थी द्वारा वर्ष 2007 में श्रीमान पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र से भी होती है जिस पर कार्यवाही करते हुए एस.एच.ओ. लालगढ द्वारा उक्त रास्ता खुलवाया गया था। श्रीमान जी, दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांकित 09.12.2007 की खबर का अवलोकन फरमावें, **" पुलिस ने खुलवाया सात साल से बन्द रास्ता–श्रीगंगानगर , लालगढजाटान थाना पुलिस ने शनिवार को गांव गणेशगढ में सात साल से बन्द रास्ता खुलवा दिया। इस मार्ग पर कुछ लोगों ने बनछटियां रखी हुई थी जिससे केसर देव का प्लॉट में जाना नामुमकिन हो गया था। एस.एच.ओ. बलराज सिंह मान ने बताया कि केसर देव के शुक्रवार को एस.पी. के निर्देश पर शनिवार को गावं में जाकर इस रास्ते को खुलवाने के लिए महावीर प्रसाद की बनछटियां हटवा दी गई। पुलिस की इस कार्यवाही के बाद गांव के अन्य लोगों ने भी मंजूरशुदा गलियों से कब्जे हटा लिए।"** मौका पर 21 फुट चौड़ा रास्ता होने के उक्त समस्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दोनो नोटिस जारी किए गए है जो कि इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

4. यह कि प्रार्थी के उक्त भूखण्ड के दक्षिण दिशा में गली आम है। प्रार्थी ने भूखण्ड की सीमा के अन्दर ही निर्माण कार्य किया हुआ है। प्रार्थी ने गली आम व आबादी भूमि पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं किया है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि किसी अन्य प्रयोजनार्थ इस्तेमाल की जानी प्रस्तावित हो तो उसके द्वारा पूर्व में छोड़ा गया 21 फुट चौड़ा रास्ता , जो कि निगरानीकर्ता को उसके भूखण्ड संख्या 1092 (ख) का पट्टा जारी करते समय छोड़ा गया था, उक्त रास्ते की जगह को छोड़कर ही ग्राम पंचायत आबादी भूमि को किसी अन्य प्रयोजनार्थ इस्तेमाल करने की अधिकारी है। मौके के इन महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन किए बिना ही अप्रार्थी द्वारा उक्त दोनों नोटिस जारी किए गए है जो इसी आधार पर ही निरस्त किए जाने योग्य है।
5. यह कि प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 1092 (ख) का पट्टा ग्राम पंचायत गणेशगढ़ द्वारा दिनांक 20.04.1989 को जारी किया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज है व इस भूखण्ड का आसा –पासा भी पट्टा दिनांकित 20.04.1989 की पुश्त पर अंकित है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दोनों नोटिस जारी करना विधि विरूद्ध है। इसी आधार पर उक्त दोनों नोटिस निरस्त किए जाने योग्य है।
6. यह कि प्रार्थी को उक्त भूखण्ड संख्या 1092 (ख) के सम्बन्ध में जारी पट्टा आज तक प्रभावी है जिसका रिकॉर्ड ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उक्त पट्टा की पुश्त पर अंकित नक्शा अनुसार प्रार्थी को मौका पर केवल एक ही गली दक्षिण दिशा में लग रही है, शेष तीनों दिशाओं में रिहायशी मकान निर्मित है, यदि प्रार्थी को दक्षिण दिशा में उपलब्ध मात्र एक रास्ता भी ग्राम पंचात द्वारा किसी अन्य प्रयोजनार्थ इस्तेमाल कर लिया गया तो प्रार्थी का अपने घर में आना–जाना ही बन्द हो जाएगा। इन महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखा करके ग्राम पंचायत द्वारा अपने ही कार्यालय के रिकॉर्ड के विरूद्ध जाकर उक्त दोनों नोटिस जारी किए गए है जो कि इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है।
7. यह कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत गणेशगढ द्वारा तथाकथित नोटिस कमांक एसपीएल–01 दिनांक 07.02.2026 एवं नोटिस कमांक 191 दिनांक 02.03.2026 जारी करने से पूर्व किसी कानूनी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया , न ही किसी प्रकार से कभी कोई आपत्ति सूचना का प्रकाशन आमजन हेतु दैनिक समचार पत्र में करवाया गया। इसके अतिरिक्त तथाकथित नोटिस जारी करने से पूर्व न तो कमेटी गठित की गई और न ही मौका की वास्तविक स्थिति की जांच करवाई गई। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही राजनैतिक दबाव के चलते

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

चुपचाप अपने कार्यालय में बैठकर की गई है। इसी आधार पर उक्त दोनों नोटिस निरस्त किये जाने योग्य है।

8. यह कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी प्रभावित पक्षकार को बिना सुने , एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की जा सकती। भूखण्ड संख्या 1092 (ख) के सम्बन्ध में कोई भी नोटिस जारी करने से पूर्व प्रार्थी को सुना जाना आवश्यक था, क्योंकि भूखण्ड संख्या 1092 (ख) पर प्रार्थी कालान्तर से परिवार सहित निवास कर रहा है और इस भूखण्ड के केवल दक्षिण दिशा में ही गली आम लग रही है, अन्य किसी दिशा में कोई रास्ता नहीं लगता। इस भूखण्ड का ग्राम पंचायत गणेशगढ़ द्वारा दिनांक 20.04.1989 को प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। अब तथ्यों के विपरीत जाकर उक्त दोनों नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए है जो कि इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

9. यह कि इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस क्रमांक एसपीएल–01 दिनांक 07.02.2026 एवं नोटिस क्रमांक 191 दिनांक 02.03.2026 विधि विरूद्ध जाकर, अपने ही कार्यालय में संधारित रिकॉर्ड को अनदेखा करके जारी किए गए है। इसलिए उक्त दोनों नोटिस Void ab-initio (प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य) है एवं प्रार्थी के अधिकारों पर बेअसर है।

अत निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर नोटिस क्रमांक एसपीएल–01 दिनांक 07.02.2026 एवं नोटिस क्रमांक 191 दिनांक 02.03.2026 को निरस्त फरमाया जावे तथा अप्रार्थी ग्रांम पंचायत गणेशगढ को आदेशित किया जावें कि वे, प्रार्थी के भूखण्ड संख्या 1092 (ख) व अन्य व्यक्तियों के भूखण्ड़ो की दक्षिण दिशा में उपलब्ध 21 फुट चौड़े रास्ते की जगह को छोड़कर ही आबादी भूमि का किसी अन्य प्रयोजनार्थ इस्तेमाल करें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की गई। गैरनिगरानीकर्ता को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया गया।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2 ता 9 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 20 एवं आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहित पर अधिवक्ता उभयपक्ष को सुना गया। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 20 एवं आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहित पर सहमति प्रकट की। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहित स्वीकार किया जाकर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ता 9 को बतौर गैर–निगरानीकर्तागण पक्षकार बनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त निगरानी ग्राम पंचायत गणेशगढ द्वारा विधि विरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत दिए नोटिस कमांक एसपीएल–1 दिनांकित 07.02.2026 एवं नोटिस कमांक 191 दिनांक 02.03.2026 के विरूद्ध पेश की गई है। निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.04.1989 को जो पट्टा दिया गया है उसकी पुश्त पर भूखण्ड संख्या 1092 (ख) का नक्शा अंकित किया हुआ है एवं आसा–पासा भी अंकित किया है। निगरानीकर्ता के उक्त भूखण्ड के पूर्व, पश्चिम व उत्तर में रिहायशी भूखण्ड/मकान है, केवल दक्षिण में आम रास्ता है जिस पर निगरानीकर्ता को आवंटित भूखण्ड का मुख्य गेट खुलता है अन्य कोई रास्ता उक्त भूखण्ड को नहीं लगता है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1989 में मुझ प्रार्थी को ग्राम पंचायत गणेशगढ की आबादी भूमि में से भूखण्ड संख्या 1092 (ख) का पट्टा दिया गया था एवं इसी आबादी भूमि में से चक के कई अन्य वाशिन्दों को विभिन्न भूखण्डों के पट्टे समय–समय पर जारी किए बताये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड संख्या 1092 (ख) व चक के अन्य व्यक्तियों को आवंटित विभिन्न भूखण्डों के दक्षिण दिशा में 21 फुट चौड़ा रास्ता आम अपने–अपने भूखण्डों में आने जाने हेतु दिया गया है। मुझ प्रार्थी द्वारा वर्ष 2007 में श्रीमान पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर को दिए प्रार्थना पत्र **(जिसके अखबार की कंटीग फाईल में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई है)** से भी होती है जिस पर कार्यवाही करते हुए एस.एच.ओ. लालगढ द्वारा उक्त रास्ता खुलवाया गया था। जहां तक अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता का यह कथन कि उक्त शमशान भूमि काफी पुरानी है, गलत है क्योंकि उक्त शमशान भूमि मुताबिक इन्तकाल संख्या 563 दिनांक 18.01.2023 द्वारा आबादी भूमि से गैर.मुमकिन शमशान दर्ज हुई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर नोटिस कमांक एसपीएल–01 दिनांक 07.02.2026 एवं नोटिस कमांक 191 दिनांक 02.03.2026 को निरस्त फरमाया जावे एवं अप्रार्थी ग्रांम पंचायत गणेशगढ को आदेशित किया जावें कि वे, प्रार्थी के भूखण्ड संख्या 1092 (ख) व अन्य व्यक्तियों के भूखण्ड़ो की दक्षिण दिशा में उपलब्ध 21 फुट चौड़े रास्ते की जगह को छोड़कर ही आबादी भूमि का किसी अन्य प्रयोजनार्थ इस्तेमाल करें।

गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 व अधिवक्ता निगरानीकर्ता संख्या–2 ता 9 ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत के नोटिस कमांक एसपीएल–01 दिनांक 07.02.2026 एवं नोटिस कमांक 191 दिनांक 02.03.2026 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा कोई अन्तरिम आदेश नहीं दिया गया है, जब तक ग्राम पंचायत उक्त नोटिस पर कोई निर्णय नहीं करती तब तक निगरानीकर्ता निगरानी पेश नहीं कर सकता। नोटिस के खिलाफ निगरानी पेश करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए निगरानी मैनटेबल नहीं होने के कारण

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

काबिल खारिज फरमाई जावें। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी नये एक्ट के तहत पेश की है जबकि निगरानकीर्ता द्वारा भूखण्ड संख्या 1092 (ख) का जो पट्टा प्रस्तुत किया है वह पुराने एक्ट का पेश किया है। ग्राम पंचायत में उक्त पट्टा से सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त शमशान भूमि की चारदीवारी हेतू वित्तिय स्वीकृति दिनांक 15.07.2025 को जारी होने पर 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चूका है, अगर कार्य पूर्ण नहीं होता है तो ग्राम पंचायत को वित्तिय नुकसान होगा। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी मैनटेबल नहीं होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता ने निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत गणेशगढ के नोटिस कमांक एसपीएल–01 दिनांक 07.02.2026 एवं नोटिस कमांक 191 दिनांक 02.03.2026 के विरूद्ध पेश की है। ग्राम पंचायत गणेशगढ द्वारा जो नोटिस जारी किया गया वह निगरानीकर्ता के मुख्यदवार जिस पर रास्ता खुलता है उस रास्ता पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 ग्राम पंचायत गणेशगढ द्वारा उक्त रास्ता के सामने मेघवाल समाज की शमशन भूमि की चारदिवारी का निर्माण किया जाना है जिसके सम्बन्ध में वित्तिय स्वीकृति भी जारी होना प्रमाणित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता को उक्त रास्ता पर स्थित भूखण्ड संख्या 1092 (ख) के सम्बन्ध में पट्टा जारी किया गया है उस भूखण्डों के दक्षिण दिशा में 21 फुट चौड़ा रास्ता आम एवं उक्त रास्ता पर अन्य व्यक्तियों को आवंटित विभिन्न भूखण्डों के दक्षिण दिशा में भी 21 फुट चौड़ा रास्ता आम अपने–अपने भूखण्डों में आने जाने हेतु दर्शाया गया है। उक्त पट्टा अगर ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया तो आज दिनांक तक उक्त पट्टा को निरस्त करवाने बाबत ग्राम पंचायत कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई एवं ग्राम पंचायत द्वारा जब भूखण्ड संख्या 1092 (ख) जारी किया तो रास्ता किस आधार पर दिखाया गया। यह एक जांच का विषय है जिसके सम्बन्ध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर को उक्त विवादित रास्ता व शमशान की भूमि के सम्बन्ध पुनः विस्तृत जांच अपने स्तर पर कमेटी गठित कर करवाई जानी चाहिए। उक्त कमेटी विकास अधिकारी पं0स0 श्रीगंगानगर की उपस्थिति में शमशान भूमि को आवंटित रकबा पत्थर नम्बर 29/199 मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 01 ता 10 का सीमाज्ञान करवावें। सीमाज्ञान के अनुसार ही ग्राम पंचायत आगामी कार्यवाही अपने स्तर पर करना सुनिशिचित करावें। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाकर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त विवादित रास्ता, भूखण्ड संख्या 1092 (ख) का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा०) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पट्टा एव शमशान भूमि के रकबा के सम्बन्ध में स्वयं के नेतृत्व में कमेटी गठित कर जांच करें। दोनो पक्षो की उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए पट्टा,विवादित रास्ता व शमशान की भूमि के प्रकरण का निस्तारण करें। आदेश की प्रति मय रिकार्ड सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजा जावे एवं आदेश की प्रति पालनार्थ विकास अधिकारी पंचायत समिति, श्रीगंगानगर को भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुभाष कुमार)
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन)श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)